मध्य प्रदेश शासन
आयुष विभाग,
वल्लभ भवन कमांक–3, चतुर्थ तल
मंत्रालय भोपाल

//आदेश//

भोपाल दिनांक 26/06/2020

कमांक/1117/1144/2020/1/59 :- डॉ0 हरिकृष्ण अग्रवाल, सेवानिवृत्त, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, जिला झाबुआ द्वारा द्वितीय समयमान वेतनमान के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में याचिका कमांक 1532/2020 दायर की गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में पारित निर्णय दिनांक 24.01.2020 में सक्षम अधिकारी को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने और सक्षम अधिकारी द्वारा तीन माह में अभ्यावेदन के निराकरण के निर्देश दिये । इस स्थिति में डॉ. अग्रवाल को द्वितीय समयमान वेतनमान पर विचार किये जाने हेतु संचालनालय से समुचित प्रस्ताव प्रेषित किया गया।

2/- डॉ0 हरिकृष्ण अग्रवाल, सेवानिवृत्त, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, जिला झाबुआ की प्रथम नियुक्ति दिनाक 08.08.1997 है एवं वे अपनी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर दिनांक 31.03.2016 को सेवानिवृत्त हो चुके है। डॉ0अग्रवाल को द्वितीय समयमान वेतनमान हेतु समयमान वेतनमान समिति की बैठक दिनांक 25.11.2016 में विचार किया जा चुका है। जिसमें उन्हें द्वितीय समयमान की पात्रता दिनांक 08.08.2013 से दिये जाने हेतु विचारण वर्ष 2009 से 2013 के गोपनीय प्रतिवेदन में निर्धारित अंक नहीं होने पर अनुपयुक्त पाये गये। उक्त समिति द्वारा वर्ष 2014 में द्वितीय समयमान वेतनमान हेतु विचारण वर्ष 2010 से 2014 तक के गोपनीय प्रतिवेदनों का समग्र मूल्यांकन में निर्धारित अंक नहीं होने पर उक्त वर्ष मे भी अनुपयुक्त पाये गये । उक्त समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि डॉ. अग्रवाल वर्ष 2015 एवं 2016 के गोपनीय प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उक्त वर्षो में द्वितीय समयमान वेतनमान पर विचार का निर्णय लिया जावेगा।

3/- डॉ0 हरिकृष्ण अग्रवाल, सेवानिवृत्त, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, जिला झाबुआ को पात्रतानुसार दिनांक 08.08.2013, एवं 01.04.2014 से द्वितीय समयमान वेतनमान हेतु समयमान वेतनमान समिति की पूर्व बैठक में विचारण वर्षो के गोपनीय प्रतिवेदनों का समग्र मूल्याकन में निर्धारित अंक नहीं होने पर अनुपयुक्त है। डॉ0अग्रवाल के वर्ष 2015 के गोपनीय प्रतिवेदन प्राप्त होने पर समयमान वेतनमान समिति की बैठक दिनांक 24.06.2020 को आयोजित की गई।

4/- समिति द्वारा अपनाये गये मापदण्डों के आधार पर समिति द्वारा डॉ. हरिकृष्ण अग्रवाल, सेवानिवृत्त आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, जिला झाबुआ को द्वितीय समयमान वेतनमान हेतु दिनांक 01.04.2015 से प्रदाय किये जाने हेतु विचार किया गया। डॉ. अग्रवाल के द्वितीय समयमान वेतनमान के लिये पात्रता के संबंध में उनके वर्ष 2011, 2012, 2013, 2014 एवं 2015 तक पांच वर्षो के गोपनीय प्रतिवेदनों को विचार में लिया गया है। डॉ. अग्रवाल के उपर्युक्त वर्षो के गोपनीय प्रतिवेदन का समग्र मूल्यांकन में निर्धारित अंक नहीं होने पर मापदण्ड अनुसार समिति द्वारा उनके वर्ष 2015 के गोपनीय प्रतिवेदन की श्रेणी को देखते हुए वर्ष 2014 के गोपनीय प्रतिवेदन की श्रेणी "अच्छा" से "बहुत अच्छा" अपग्रेड किया गया। डॉ. अग्रवाल के उक्त विचारण वर्षो के गोपनीय प्रतिवेदनों का समग्र मूल्यांकन में निर्धारित अंक होने पर उन्हें दिनांक 01.04.2015 से द्वितीय समयमान वेतनमान (15600–39100+7600 ग्रेड पे,) के लिये उपयुक्त पाया जाता है।

5/- अतः राज्य शासन एतदद्वारा डॉ0 हरिकृष्ण अग्रवाल, सेवानिवृत्त, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, जिला झाबुआ को द्वितीय समयमान वेतनमान रूपये 15600–39100+7600 ग्रेड पे, दिनांक 01.04.2015 से प्रदान करता है।

6/— उपरोक्तानुसार द्वितीय समयमान वेतनमान के आधार पर वेतन निर्धारण, संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा एवं पेंशन द्वारा अनुमोदन पश्चात ही देय होगा। पूर्व में दिये गये समयमान वेतनमान में अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली वेतनमान निर्धारण के पश्चात भुगतान के समय की जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

26-6-2020
(कलाबती उईके)
अवर सचिव
म. प्र. शासन, आयुष विभाग

पृष्ठांकन कमांक/1118/1144/2020/1/59
भोपाल, दिनांक 26/06/2020

प्रतिलिपिः—

1— निज सचिव, सचिव, म. प्र. शासन, आयुष विभाग।
2— आयुक्त, संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश, भोपाल। (डॉ0हरिकृष्ण अग्रवाल का मूल गोपनीय प्रतिवेदन फोल्डर मूलतः संलग्न है)
3— संबंधित संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, इंदौर संभाग इंदौर।
4— उप संचालक, संचालनालय आयुष भोपाल की ओर आदेश को विभागीय बेवसाइड पर प्रदशित करने हेतु।
5— संभागीय आयुष अधिकारी, इन्दौर।
6— जिला आयुष अधिकारी जिला झाबुआ। उक्त आदेश की एक प्रति संबंधित को तामील कराने हेतु प्रेषित।
7— संबंधित डॉ.हरिकृण अग्रवाल, सेवानिवृत्त आ.चि.अ., द्वारा जिला आयुष अधिकारी जिला झाबुआ।
8— आदेश फाइल।

संलग्न—सरल कमांक—2 हेतु
मूल गोप.प्रतिवेदन फोल्डर

26-6-2020
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग